इ–मेल

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, अरेरा हिल्स,किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्र./मंडी/प्रां/कार्ययोजना/विविध/46/46/ 553   भोपाल,दिनांक 21/06/19

प्रति,

1. संयुक्त/उप संचालक
   म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
   आचंलिक कार्यालय..................... (समस्त).
2. सचिव,
   कृषि उपज मंडी समिति..............
   जिला..........................(समस्त)

विषयः– कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण में आवंटित संरचनाओं के संबंध में दिशा निर्देश।

———

विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के मण्डी प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण में मण्डी समिति के अनुज्ञप्तिधारी जिन्हें संरचना आवंटित है किन्तु उनके द्वारा कृषि उपज का क्रय–विक्रय नही किया जा रहा है, उन्हें आवंटित सरंचना कों म.प्र.कृषि उपज मण्डी (भूमि एवं सरंचना का आवंटन) नियम 2009 के नियम–17 में विहित प्रावधान के तहत अनुज्ञप्ति को रद्द या निलबिंत किये जाने के संबध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मण्डी/प्रांगण/कार्ययोजना/18–19/4114 दिनांक 29.06.2018 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे।

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बोर्ड/नियमन/भुगतान/2018–19/1957 दिनांक 29.06.2019 द्वारा मण्डियों में किसानों द्वारा विक्रित कृषि उपज का नगद भुगतान तथा कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी–6/नियमन/नगद भुगतान/369/2027 दिनांक 11.6.2019 द्वारा कृषकों को 2.00 लाख रूपये तक नगद भुगतान के संबध में निर्देश जारी किये गये है।

अतः मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों/ मण्डी अधिनियम/उपविधि के प्रावधान के तहत मण्डी समिति के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कृषकों की कृषि उपज के क्रय–विक्रय के संबध में कार्यवाही नही की जा रही है तो उन्हें मण्डी प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण में आवंटित संरचना के संबध में म.प्र.कृषि उपज मण्डी (भूमि एवं सरंचना का आवंटन) नियम–2009 के नियम–17 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(फैज अहमद किदवई) 21/6
प्रबंध संचालक, सह–आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल